राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 24/2021 दायर दिनांक–15.9.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. करतार मल पुत्र बालुराम जाति जाट नि0 मोरडी तहसील रूपनगढ़
2. नारायण लाल पुत्र बालुराम जाति जाट नि0 मोरडी तहसील रूपनगढ़

...अपीलान्ट्स

बनाम

1. आदर्श ग्राम पंचायत, (मि0स0)रूपनगढ जरिये सरपंच, आदर्श ग्राम पंचायत (मि0स0) रूपनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

...रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–रा0अधि0 1956

निर्णय **दिनांक 23.3.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम रूपनगढ़, पटवार हल्का रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़ अवस्थित कृषि भूमि के खसरा न0 4137/2411 रकबा 0.1943 हैक्टेयर सम्पूर्ण कृषि भूमि को उसके खातेदार महबूब अली पुत्र रमजान खां कलाल (शेख) जाति कलाल नि0 ग्राम रूपनगढ़ से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 3.8.2021 को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके अपीलान्ट्स ने बहिस्सा बराबर–बराबर (1/2, 1/2 हिस्सा) अनुसार खरीद कर काबिज काश्त हो गये थे तथा अपीलान्ट्स के द्वारा ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ में स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या 2485 के ख0न0 4142/3907 रकबा 0.1294 है0 सम्पूर्ण कृषि भूमि को उसके खातेदार महबूब अली पुत्र रमजान खां जाति शेख कलाल निवासी रूपनगढ़ से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 03.8.2021 को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके अपीलान्ट्स ने बहिस्सा बराबर–बराबर (1/2, 1/2 हिस्सा) अनुसार खरीद कर काबिज काश्त हो गये थे। अपीलान्ट्स द्वारा खरीदशुदा आराजीयात का पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी खरीद शुदा आराजी का अपीलान्ट्स के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण खुलवाने हेतु पेश किया। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.08.2021 को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 6508 दिनांक 03.08.2021 भरकर नामान्तकरण में सभी खसरों पर मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच व उचित आदेशार्थ पेश किया है। गिरदावर हल्का के समक्ष पेश किया जिस पर गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 03.08.2021 को अंकन किया कि जांच की अंकन सही है। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दिनांक 05.08.2021 को मजमे आम में पेश किया तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वर्णित नामान्तकरण की पत्रावली को आगामी तारीख में पेश करने का आदेश दिया तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हल्का पटवारी द्वारा [illegible] को दिनांक 20.8.2021 को ग्राम पंचायत की बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 में पारित निर्णय [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष [illegible] पंजीकृत विक्रय पत्र के तस्दीक हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 [illegible] द्वारा खरीद शुदा भरे हुये नामान्तकरण को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के बिना विधिक प्रकिया के तहत दिनांक 20.8.2021 को खारिज अस्वीकार कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.04.22 14:07:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये नोटिस की गयी। रेस्पोडेन्ट्स के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष की वहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान , अजमेर के एकलपीठ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 4672/2020 में दिनांक 21.12.2020 को पारित निर्णय अनुसार विवादित आराजी को माननीय उच्च न्यायालय के स्तर तक कस्टोडियन भूमि नहीं होने से राजकीय भूमि होना नहीं माना गया है तथा इमामबक्ष की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि ऐमना बेगम को उचित वारिस मानते हुये उनके पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण को किसी भी न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया तथा ऐमना बेगम द्वारा किये गये विकय पत्र एवं उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरणों को भी आज दिनांक तक किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है वरन् इन्हें विधिक प्रकिया के अनुसार सही माना गया है। राज–भू0राजस्व अधि0 1956 की धारा 133 से 135 में नामांतरकरण बाबत् स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसमें अन्तरण के संबंध में भी नामांतरकरण खोलने का प्रावधान है। स्पष्ट है कि नामांतरकरण कार्यवाही करने की तहसीलदार की जिम्मेदारी है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है तथा इससे किसी पक्षकार के अधिकार स्वत्व या हित अंतिम रूप से निर्धारित नहीं होते है। यही नहीं नामांतरकरण की कार्यवाही से ही राजस्व रिकार्ड को अपडेट एवं एक्यूरेट किया जा सकता है जो राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है। चूंकि तस्दीककर्ता (सरपंच, आदर्श ग्राम पंचायत मि0 स0 रूपनगढ) द्वारा ग्राम रूपनगढ़ के नामा0 संख्या 6508 दिनांक 20.8.2021 को अस्वीकृत करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है एवं इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य तथा कस्टोडियन भूमि के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने योग्य होने से अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को उक्त प्रकरण में नवीन नामांतरकरण दर्ज कर नियमानुसार निस्तारण करने आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.04.22 14:07:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड रूपनगढ़

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)